...लय नायब तहसीलदार रुपनगढ,जिला–अजमेर

जस्व मुकदमा नं0 65 /2022
उनवान

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 91
राज. भू राजस्व अधि0 1956

सरकार जरिये प0ह0 करकेडी

बनाम

देवाराम पुत्र किशनाराम जाति माली निवासी करकेडी

निर्णय

दिनांक 26/12/2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि ग्राम करकेडी के आराजी खसरा नं0 100 किस्म गे0मु0 रास्ता रकबा 0.2588 है0 में से रकबा 0.0080 है0 पर बाड लगाकर अप्रार्थी ने कब्जा कर लिया गया है। जिसकी रिपोर्ट पटवारी हल्का की प्राप्त होने पर मामला अन्तर्गत 91 राज.भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस से तलब किया गया। गैरसायलान अनुपस्थित हुऐ । पटवारी हल्का की जांच रिपोर्ट अनुसार अतिक्रमण होना साबित होता है ।

अतः आदेश दिये जाते है कि गैरसायल को ग्राम करकेडी के आराजी खसरा नं0 100 किस्म गे0मु0 रास्ता रकबा 0.2588 है0 में से रकबा 0.0080 है0 पर बाड लगाकर क़िये गये अनाधिकृत कब्जा से बेदखल किया जाता है तथा लगान 0.04 रूपये का 50.गुणा 2.00 रूपये जुर्माना किया जाता है तथा अप्रार्थी को विवादग्रस्त आराजी से भौतिक रुप से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हें।

पटवारी/टी.आर.ए. मांग कायमी कर वसूली करे तथा विवादित भूमि पर से अप्रार्थी को भौतिक रुप से बेदखल कर कब्जा लेकर रिपोर्ट पेश करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो ।

नायब तहसीलदार
रुपनगढ(अजमेर)

Scanned by CamScanner